न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 244 / 2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 श्रीमती रामपति स्त्री महीपाल सिंह।
2 अनिल पुत्र महीपाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल निवासी प्लाट नं. 284 / ए गली नं. 7 गांधी पथ क्वीन्स रोड़ जयपुर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बनाम

1 सुनिता देवी स्त्री सुनिल कुमार।
2 दिशा आयु 18 वर्ष पुत्री सुनिल कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नं. 13 पुलिस स्टेशन के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3 श्रीराम पुत्र देवकरण।
4 राधेश्याम पुत्र देवकरण।
5 सुरेश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह।
6 सुनिल कुमार पुत्र रघुवीर सिंह।
7 सुधीर कुमार पुत्र रघुवीर सिंह।
8 पवन कुमार पुत्र राजुराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

9 मृतक ओमप्रकाश पुत्र देवीसहाय।
9/1 श्रीराम पुत्र ओमप्रकाश।
9/2 सुरजभान पुत्र ओमप्रकाश।
9/3 चन्द्रभान पुत्र ओमप्रकाश।
9/4 सुभिता पुत्री ओमप्रकाश।
9/5 प्रेम पुत्री ओमप्रकाश।
9/6 धर्मा देवी स्त्री ओमप्रकाश।
10 विजेन्द्र पुत्र देवीसहाय।
11 अशोक पुत्र जगतसिंह।
12 कपिल पुत्र चन्द्रसिंह।
13 प्रमोद पुत्र कमल सिंह।
14 विनोद पुत्र कमल सिंह।
15 किस्तुरी स्त्री कमल सिंह।
16 जसंवत सिंह पुत्र प्रभूदयाल।
17 रणवीर सिंह पुत्र प्रभूदयाल।
18 जयसिंह पुत्र प्रभूदयाल।
19 बलवीर पुत्र प्रभूदयाल।
20 सुरेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह।
21 योगेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह।
22 विरेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह।
23 पतासी स्त्री सज्जन सिंह।
24 मालाराम पुत्र रामु।
25 सतपाल पुत्र कर्मचन्द।
26 रणधीर पुत्र कर्मचन्द।
27 रामनिवास पुत्र कर्मचन्द।
28 रामबाई पुत्र कर्मचन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

29 गोर्वधन पुत्र डेडाराम।
30 मनभरी स्त्री सतवीर समस्त जाति जाट निवासीगण बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
31 सुभिता देवी स्त्री महीपाल जाति जाट निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
32 रामस्वरूप पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
33 रणधीर सिंह पुत्र सरदारा राम।
34 सुमेर सिंह पुत्र सरदारा राम।
35 राजेन्द्र सिंह पुत्र सरदारा राम।
36 अजीतसिंह पुत्र सरदारा राम समस्त जाति जाट निवासीगण खुदड़ोला जिला भिवानी (हरियाणा)।
37 ओमप्रकाश पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
38 बालुराम पुत्र मुलचन्द।
39 प्रसादाराम पुत्र मुलचन्द समस्त जाति माली निवासी भोमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
40 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक।
41 अणची देवी स्त्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
42 दुर्गापाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी गादड़वास (हरियाणा)।
43 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 14.03.15 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकदमा उनवानी सुनिता देवी बनाम श्रीराम मु0नं0 55/2013 दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज बजाज अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 26/12/18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 55/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंट ने प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय ने दावा बाबत घोषणा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम बख्तावरपुरा तहसील चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 442 से 448, 453,454,109,209,213,232,634/272 ग्राम भोमपुरा की भूमि 15, 65,62,63 ग्राम नरहड़ की भूमि 2034,2035,2037, 2040 से 2043 प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

एकतरफा कार्यवाही कर वाद वादी डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पक्षकारों के साधारण नोटिस जारी नही हुये है अपितु अखबार से तामिल के आदेश हुये है विचारण न्यायालय ने सीपीसी के प्रावधान आदेश 5 नियम 17,18 की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय में दावा घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था विचारण न्यायालय ने केवल घोषणा की डिक्री जारी की है। अपीलांट को विचाराधीन वाद की तामिल पर्याप्त नही करवाई गई निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है धारा 5 का आवेदन पेश कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जायें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि विवादित भूमि पैतृक नही है वादी रेस्पोडेंट ने मिथ्या कथन कर दावा पेश किया है उनका कोई हक अधिकार नही है वादिया 3 शादी कर चुकी है अत उसका दावा ही चलने योग्य नही है अपील स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व 23.12.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है। अपीलांट ने इसके विरूद्व विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने की कार्यवाही नही की है अपितु सीधे ही अपील पेश कर दी है। अब अपीलांट को अपील के स्तर पर तामिल अथवा एकपक्षीय कार्यवाही का बिन्दु उठाने का अधिकार नही है अपीलांट ने अपील मेमों एंव वर वक्त बहस प्रकरण के गुणावगुण पर कोई बहस नही की है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की तामिल विधि प्रकियानुसार रजिस्टर्डड सम्मन एवं अखबार में प्रकाशन के जरिये करवाई गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जाये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने दावा घोषणा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान आदेश 5 नियम 17,18 की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट्स के विरूद्व साधारण नोटिस जारी करने का कोई अंकन आदेशिका पर नही है, न ही अदम तामिल, चस्पान्दगी के नोटिस विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व साधारण नोटिस जारी ही नही किये गये है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई, जवाब का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.18..... को सरे इजलास सुनाया गया।

26/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर